फोटो

प्रारूप–2 (संशोधित)

(अनुसूची–3–11 (i) (ii) स्नातकोत्तर पाठयक्रम हेतु)

(चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

बंध–पत्र

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

1– मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... मध्यप्रदेश के चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र......... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं ।

2– मैने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 एवं संशोधन 19 जून 2019 तथा संशोधन 05 अक्टूबर 2021 को भलीभांति पढकर समझ लिया है ।

3– मैने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद (अनिवार्य चिकित्सा सेवा) पंजीयन नियम 2021 भली भॉती पढकर समझ लिया है।

4– मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तो पर निष्पादित करती/करता हूं कि :–

i) सीट लिविंग बॉण्ड–

अ मैं चिकित्सा/ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठयक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी ।

ब यह कि, मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के निर्देशों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् एवं पाठयक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित **शासकीय चिकित्सा/शासकीय** दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बांड राशि एमडी/एमएस/एमडीएस पाठ्यक्रम के लिये रू0 3**0,00,000**/– (रू0 तीस लाख) भुगतान करने का वचन देता हूॅं /देती हूॅं **।** निजी चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में **प्रवेश की स्थिति में त्याग पत्र दिये जाने/निष्कासन पर** पाठयक्रम की पूर्ण अवधी/ शेष अवधि का शैक्षणिक शुल्क का भुगतान शासन को **करने का वचन देता/देती हूॅं।**

स यह कि सीट लीविंग बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापिस नहीं किये जायेंगें।

ii) ग्रामीण सेवा बॉण्ड–

अ– मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।

ब– **गैर सेवारत अभ्यर्थी – ग्रामीण सेवा की** विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री हेतु एक वर्ष होगी एवं बॉण्ड के अन्तर्गत सेवा न करने की स्थिति में रू0 10 लाख शासन को भुगतान करने का वचन देता/देती हूॅं।

स– शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा बॉण्ड संबंधित संस्था के अधिष्ठाता के नाम पर निष्पादित करना होगा। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा बॉण्ड संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के नाम पर निष्पादित करना होगा।

द– **सेवारत अभ्यर्थी– ग्रामीण सेवा की** विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री पाठयक्रम हेतु क्रमशः पांच वर्ष की होगी। बॉण्ड के अन्तर्गत सेवा न करने की स्थिति में रू0 50 लाख शासन को भुगतान करने का वचन देता/देती हूॅं।

ध– चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत डिमोस्ट्रेटर/ट्यूटर/मेडिकल आफिसर को पाठयक्रम पूर्ण करने के पश्चात् 05 वर्ष की अनिवार्य सेवा करनी होगी। बॉण्ड के अन्तर्गत 05 वर्ष की सेवा न करने पर बॉण्ड राशि रूपये 50 लाख जमा करने होंगे।

च– यह कि ग्रामीण सेवा बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापस नहीं किये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :–

1.....................................

2.....................................